PAGE NO. 2. (1)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 17AB 509252

कार्यालय-उ... ...वाराणसी

द्वारा सकला... 425 2011 ... लेखपत्र

संख्या......... 8654 2010 ...की

प्रतिलिपि ... ...17......।

... ...

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (नि० लि०)

सुनने वाला-श्रीमती आशा पाण्डेय (नि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

...लिपिक II

...वाराणसी

Scanned by CamScanner

3654/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH T 309255

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. परगना / तहसील : देहात अमानत / सदर
3. ग्राम : करौंदी, जिला वाराणसी।
4. सम्पत्ति का विवरण : आराजी नम्बर मि0 296.
5. मापन की ईकाई : वर्गमीटर
6. आराजी का क्षेत्रफल : 120.86 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : गैर चिन्हित कालोनी सड़क
8. अन्य विवरण (9मीटर रोड/कार्नर) : लागू नही
9. आराजी का प्रकार (प्लाट/फ्लैट/मकान/दुकान) : खुली भूमि
10. आराजी का कुल क्षेत्रफल : 120.86 वर्गमीटर
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल : लागू नहीं

चन्द्रमौली उपाध्याय

वीरेन्द्र प्रताप सिंह
मि० लि०

कृष्ण मुरारी तिवारी
दे० से० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

पढ़ने वाला- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

उप निबंधक II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309253

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

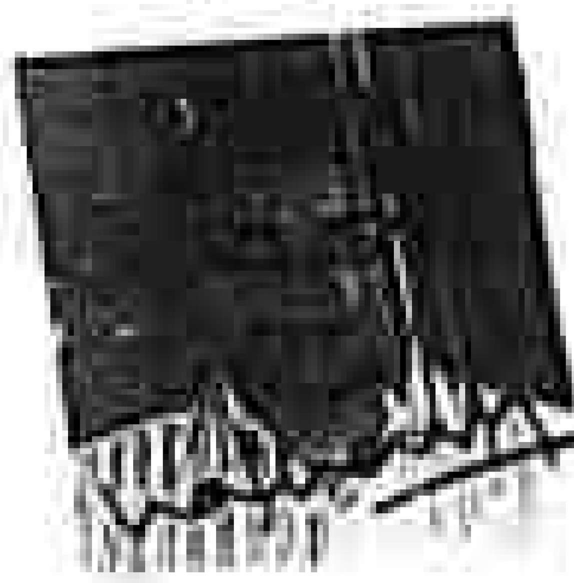

12. स्थिति (फिनिश्ड/सेमीफि) : लागू नहीं
13. पेड़ो का मूल्यांकन : कुछ नहीं
14. बोरिंग/कुआँ अन्य : कुछ नहीं
15. निर्मित क्षेत्रफल : लागू नहीं
16. निर्माण का वर्ष : लागू नहीं
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है : नहीं
18. प्रतिफल धनराशि : 3,00,000/-
19. सरकारी मालियत : 6,29,000/-
20. देय स्टाम्प : 44,100/-

प्रथम पक्ष की संख्या-(6)

द्वितीय पक्ष की संख्या - (1)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

T 309254

चौहद्दी :-

पूरब : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक अबुज कुमार डिडवानियां बय हो रही है।

पश्चिम : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक श्रीमती उमा डिडवानियां बय हो रही है।

उत्तर : चहारदीवारी जैन आश्रम।

दक्षिण : सड़क कालोनी।

नागेश उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, चन्द्रमौलि उपाध्याय खुद व बहैसियत मुख्तारेआम हरिमोहन उपाध्याय, विश्वमोहन उपाध्याय, राजेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्रगण स्वर्गीय राजमोहन उपाध्याय सभी निवासीगण मौजा बनौली, परगना चैनपुर, जिला आरा, (शाहाबाद) बिहार वर्तमान निवासीगण मकान नम्बर बी-33/11 ए-5क, नरियां, शहर वाराणसी।

.... प्रथम पक्ष/विक्रेतागण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

- 3 DEC 2010

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

T 309242

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

व

शशांक केजरीवाल पुत्र श्री गोविन्द केजरीवाल निवासी बी-28/7, मानस मन्दिर के पास, दुर्गाकुण्ड, शहर वाराणसी।

.... द्वितीय पक्ष/क्रेता

विदित हो कि प्रथम पक्ष के पिता ज्योतिषाचार्य पंडित राजमोहन उपाध्याय ने मौजा करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी में स्थित आराजी नम्बर 296, रकबा 1 एकड़ 4 डिसमिल जरिये रजिस्ट्रीशुदा बैनामा मोरखा 10-02-1964 बविस्ता नादेश्वरी कुंवर वगैरह मौसूमा खुद बएवज कीमत कामिल क्रय कर हासिल किया है बैनामा मजकूर का इन्द्राज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, वाराणसी में बही नम्बर 1, जिल्द 3784 के पृष्ठ 308/312 पर बनम्बर 878 दिनांक 17-02-1964 को हुई है। तारीख बैनामा मजकूर से पिता प्रथम पक्ष आराजी मजकूर पर बहैसियत तनहां मालिक भूमिधर काबिज दखील रहकर हर फेल मालिकाना ताहयात खुद अमल में लाते रहे और उनका नाम भी कागजात माल खतौनी में बहैसियत मालिक भूमिधर बमुजिब बैनामा मजकूर मुन्दर्ज रहा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (नि० लि०)

श्रीमती आरती पाण्डेय (नि० लि०)

उप नि० II वाराणसी

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह नि० लि०

श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द० स० लि०

उ० नि० II वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

T 309244

पिता मजकूर के स्वर्गवास के पश्चात् हम प्रथम पक्ष बवजह होने कानूनी वारिसान व पुत्रगण अपने पिता की समस्त चल अचल जायदाद के मालिकान व काबिज दखील हुए जुज रकबा आराजी मजकूर पूर्व में ही मुन्तकिल हो चुका है। आराजी मजकूर का रकबा 0.147 हेक्टेयर हम प्रथम पक्ष के नाम तनहां बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर कागजात माल खतौनी में दर्ज है जिस पर हम प्रथम पक्ष बहैसियत मालिकान काबिज दखील रहकर हर पल मालिकाना अमल में लाते चले आ रहे है और जो हर नुक्श मिल्कियत से पाक साफ व बेखलिश है और जिसके बाबत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को कुल कुम हक मालिकाना मय हकूक इन्तकालात कर एकसाम हासिल है जो चाहे सो करे सरेदस्त हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को रुपयों की असद जरुरत वास्ते खर्च खानगी व दीगर कार जरुरियात के दरपेश है और बिना आराजी उपरोक्त को विक्रय किये रुपयों का मिलना व जरुरियात वाला का रफा होना नामुमकिन है लेहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने उपरोक्त आराजी हस्ब तफसील जैल को विक्रय कर अपने जरुरियात मजकूर को रफा करना वाजिब व मुनासिब समझा। बय की बातचीत आम लोगों में चलायी जिस पर द्वितीय पक्ष/क्रेता शशांक केजरीवाल पुत्र श्री गोविन्द केजरीवाल निवासी बी-28/7, मानस मन्दिर के पास, दुर्गाकुण्ड, शहर वाराणसी, प्रथम पक्ष की

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Vadhiyay

V. M. Vadhiyay

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

INDIA

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

T 309243

(6)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आराजियात मजकूर का जुज हसब तफसील जैल बएवज कीमत मुबलिग
3,00,000/- (तीन लाख रुपया) खरीदने को आमादा व तैयार है जो
कीमत बलिहाज स्थिति आराजी व मौजूदा बाजार भाव के उचित व मुनासिब
है तथा इतना या इससे अधिक कीमत देने को कोई दूसरा सख्श तैयार नही
है, अतः प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आराजी उपरोक्त हसब तफसील जैल को
द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त के हक में मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख
रुपया) में विक्रय करने की बातचीत तय व पक्का कर लिया है। प्रथम पक्ष
द्वारा आराजी मजकूर के बाबत बहक द्वितीय पक्ष बैनामा तहरीर व रजिस्ट्री
करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। द्वितीय पक्ष/क्रेता अपने हक में
बैनामा तहरीर कराने को प्रस्तुत है लिहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण आराजी
हसब तफसील जैल का विक्रय पत्र बएवज कीमत मुबलिग 3,00,000/-
(तीन लाख रुपया) कि निस्फ जिसका 1,50,000/- रुपया होता है बहक
व बदस्त द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर अपने स्वस्थ मन से प्रसन्नचित्त होकर
बिना किसी जोर या दबाव के तहरीर व तकमील कर अपने को व आने
वारिसान व कायम मुकामानों को निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध करते व होते
है :-

उ० नि० लि०
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

भारत INDIA

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 309190

1. वह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने कुल तयशुदा कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) नगद कबल तहरीर बैनामा हाजा द्वितीय पक्ष/क्रेता से प्राप्त कर लिया है जिसकी पावती आज बवक्त रजिस्ट्री बैनामा हाजा रुबरु सब रजिस्ट्रार साहब, वाराणसी स्वीकार करते है। अब द्वितीय पक्ष/क्रेता के जिम्में बावत जर समन बैनामा हाजा हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण का एक भी पैसा बाकी नहीं रहा यदि इसके विपरीत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कोई उज्र या ऐतराज बावत अदायगी जरे समन बैनामा प्रस्तुत करते है तो वह बमुकाबिले बयनामा हाजा बातिल व नाजायज मुतसव्वर होगा।

2. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आज की तिथि में विक्रयशुदा आराजी पर से अपना वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल हटाकर वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष/क्रेता का करा दिया है जो-जो हक व अख्तियारात हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को मुत्तालिक आराजी विक्रयशुदा हासिल है वे सभी आज की तिथि से बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर कत्तई तौर से बय व मुन्तकिल हो गये। अब द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि विक्रयशुदा आराजी पर बतौर तनहा मालिक काबिज व दखील रहकर उसका पूर्ण रुपेण उपयोग व उपभोग

नागर

चन्द्रमौलीउपाध्याय

चन्द्रमौलीउपाध्याय

V. M. Upadhyay

Rajendra

V. M. Upadhyay

Rajendra

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 309189

अपने मनमाफिक करे अथवा जो चाहे सो करें इसमें प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को न कोई एतराज है न आईन्दा होगा।

3. यह कि अब द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि विक्रयशुदा आराजी पर से माल व अन्य सरकारी कागजातों से प्रथम पक्ष/विक्रेतागण का नाम खारिज कराकर उस पर अपना नाम बतौर तनहा मालिका के दर्ज करवा लेवें व मालगुजारी वगैरह जो भी आयद हो उसे जमाकर अपने नाम से रसीद हासिल किया करें। आज के पहले के देयों के अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की होगी।

4. यह कि विक्रयशुदा आराजी हर तरह के वारदेव नुक्स शिकियत आदि से पाक साफ है, कहीं किसी तरह से रेहन बंधक, बय, सट्टा, कुर्की, जमानत, मुकदमेबाजी, अवाप्ति आदि से प्रभावित नहीं है। प्रथम पक्ष/विक्रेतागण के स्वामित्वाधिकार में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। गर खिलाफ इसके आराजी विक्रयशुदा में किसी प्रकार का कोई नुक्स पाया जावे जिसकी वजह से या बवजह फेल ख्वाह तर्क फेल हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कुल ख्वाह जुज आराजी विक्रयशुदा पर से द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर का कब्जा दखल निकल जावे या कोई बार मुनाफिक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

K 249318

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आराजी मजकूर अदा करना पड़े तो बहर सूरत द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर को हक हासिल है व होगा कि कुल जरे समन बैनामा मय हर्जा खर्चा ख्वाह जिस कदर नुकसानी हो मय सूद दो रुपया सैकड़ा माहवारी ... प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की जात व जायदाद से वसूल कर लेवे।

5. यह कि विक्रयशुदा आराजी आवासीय है और आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। विक्रयशुदा आराजी का रजिस्टर्ड सट्टा किसी पक्ष के हक में नहीं हुआ है। विक्रयशुदा भूमि बशकल खुली आवासीय भूमि है जिस पर और किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है।

6. यह कि प्रथम पक्ष के मुकिर/विक्रेता हरिमोहन उपाध्याय ने किता मुख्तारनामा आम दिनांकित 28-06-2010 बहक सगे भ्राता प्रथम पक्ष के मुकिर/विक्रेता चन्द्रमौलि उपाध्याय तहरीर कर पंजीकृत कराया है जिसका इन्द्राज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, द्वितीय, वाराणसी में पुस्तक संख्या 4, खण्ड 81 के पृष्ठ 239 लगायत 248 पर बनम्बर 215 दिनांक 28-06-2010 को हुई है जो अद्यतन कायम व प्रभावी है और मुकिर चन्द्रमौलि उपाध्याय खुद व बहैसियत मुख्तारेआम हरिमोहन उपाध्याय बैनामा हाजा तहरीर कर पंजीकृत करा रहा है।

वाला-श्री ... (ह० लि०)

... (ह० लि०)

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह (ह० लि०)

श्री कृष्ण मुरारि सिंह (ह० लि०)

उ० नि० ...

वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

K 249317

(10)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि विक्रयशुदा आराजी नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976
7. यह कि विक्रयशुदा आराजी नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम प्रभावित नहीं है।
की धारा 10(3) व 10(5) के किसी प्राविधानों से प्रभावित नहीं है।
विक्रयशुदा आराजी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी
सदस्य की नहीं है। पक्षगण भारतीय नागरिक है व उनके नाम व पते
अंकित बैनामा हाजा वास्तविक व सही है।

यह कि विक्रयशुदा जायदाद सामान्य पक्की सड़क पर वाका है और
8. यह कि विक्रयशुदा जायदाद किसी मार्ग पर स्थित नहीं है तथा नगर
जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित किसी मार्ग पर स्थित नहीं है तथा नगर
निगम वाराणसी सीमा के बाहर देहात के अविकसित आवासीय क्षेत्र में
स्थित है।

यह कि सरकारी दर से विक्रीत आराजी में भूमि की कीमत रु0
9. यह कि सरकारी दर से विक्रीत आराजी में भूमि की कीमत रु0
5200/- प्रति वर्गमीटर की दर से 120.86 वर्गमीटर का रु0
6,28,472/- रुपया होती है जिसके पूर्णांक मु0 6,29,000/- रुपये
पर स्टाम्प नियमानुसार मु0 44,100/- रुपये का अदा किया जा रहा
है।

10. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने कुल मजमून बैनामा हाजा को बखूबी
पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर इसके विधिक प्रभाव से भली-भांति
अवगत होकर बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर तहरीर किया है जिसकी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ₹1000

ONE THOUSAND RUPEES Rs.1000

K 249316

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पूरी पाबन्दी प्रथम पक्ष/विक्रेतागण व वारिसान व कायम मुकामान प्रथम पक्ष पर है व रहेगी।

इस वास्ते प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने यह तहरीर बतौर बयनामा लाफलामी के बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

विवरण आराजी विक्रयशुदा

आराजी नम्बर मि0 296, रकबा 0.147 हेक्टेयर मे से रकबा 1300.47 वर्गफीट यानि 120.86 वर्गमीटर वाका मौजा - करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग की तिरछी लकीरों से दर्शाया गया है व जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नलिखित हैं :-

वाला-श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह (नि० लि०)

वाला-श्रीमती [illegible] (नि० लि०)

लिपि

[illegible]-II वाराणसी

वाला-श्री [illegible]

वाला-श्री [illegible]

उ० नि० II वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ₹1000

ONE THOUSAND RUPEES Rs.1000

K 249315

(12)

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पूरब : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक अनुज कुमार डिडवानियां बय हो रही है।

पश्चिम: जुज आराजी मजकूर जो आज बहक श्रीमती उमा डिडवानियां बय हो रही है।

उत्तर : चहारदीवारी जैन आश्रम।

दक्षिण : सड़क कालोनी।

तहरीर तारीख :- 03-12-2010.

गवाहान :-

1. नाम : Ashok Kr Pandey
   पिता का नाम : Shiv Kr Pandey
   पूरा पता : K-61/96 Bulanala VARANASI
   हस्ताक्षर : A.K. Pandey.

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.M. Upadhyay

V.M. Upadhyay

वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (नि० लि०)

...वाला-श्रीमती ...(नि० लि०)

...प्रतिलिपि

...-II वाराणसी

...ला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह (नि० लि०)

...ला-श्री कृष्ण मुरारी ... सिंह दे० वे० लि०

उ० नि० ...
वाराणसी

(14)

Chief Treasury Office
Varanasi
NOV 2010

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AL 520253

(13)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2. नाम : Chandra Shekhara giri
पिता का नाम : Sri Nandlal giri
पूरा पता : Q. No T.S.P. Bhadauni Chungi Raj Ghat Varanasi
हस्ताक्षर : C. giri

मसविदाकर्ता :-
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।

टाईपकर्ता :- मनोज यादव
मनोज यादव
चैम्बर नं0 5, कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.M. Upadhyay

Rajendra

V.M. Upadhyay

Rajendra

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र

सुनने वाला-श्री कृष्ण

उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बाये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बाये हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
मि० लि०

सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी ...
...

उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

चन्द्रमौली उपाध्याय
हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

V. M. Madhyay
हस्ताक्षर

पढ़ने वाला–श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०
सुनने वाला–श्री कृष्ण मुरारी [illegible]
[illegible]

उ० नि० II
[illegible]

पढ़ने वाला–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)
सुनने वाला–[illegible]
([illegible])
[illegible]

[illegible]

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (अ) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)
सुनने वाला-श्री कृष्ण [illegible] त्रिपाठी
[illegible] लि०

उ० नि० II
वाराणसी

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)
सुनने वाला-श्री [illegible] पाण्डेय
(नि० लि०)
सत्य प्रतिलिपि

उ० नि०-II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AA 923927

नक्शा नजरी बाबत आराजी नम्बर मि0 296, रकबा 0.147 हेक्टेयर में से रकबा 1300.47 वर्गफीट यानि 120.86 वर्गमीटर वाका मौजा – करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

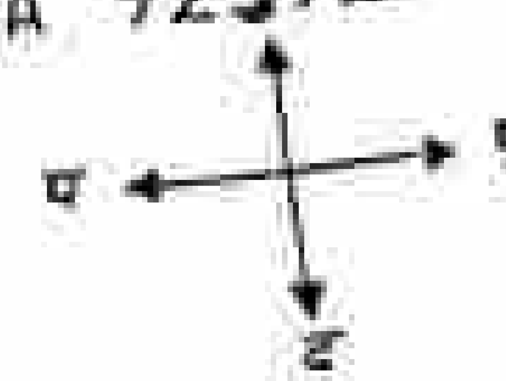

लिखने वाला–श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह

लिखाने वाला–श्री कृष्ण मुरारी तिवारी